

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, जिला - जालोर

क्रमांक/राज/2025/243

दिनांक :- 19.05.25

-:आदेश:-

कदीमी रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन बाबत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार के अनुसार मौजा अमरापुरी ग्राम पंचायत बिछावाड़ी पटवार मण्डल बिछावाड़ी भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त सरवाना तहसील सांचौर की भूमि खसरा नम्बर 2659/22, 2664/28 में प्रार्थीगण द्वारा कदीमी रास्ता वाद-विवाद रहित होने से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने हेतु प्राप्त हुआ। कदीमी रास्ता वाद-विवाद रहित होने से निम्नानुसार प्रस्तावित रास्ता का राजस्व रेकर्ड में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज-6/2003 / पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्व ग्रुप-6 के परिपत्र क्रमांक/प.3/(17) राज-06/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 की पालना के अनुसार अमलदरामद गैर मुमकिन रास्ता के रूप में नियम 164 (c)(IV) एल आर रुल्स 1957 के रूप में निम्न तालिका अनुसार दर्ज किया जावे।


क. स.	राजस्व ग्राम नाम	खातेदार नाम	खसरा नं./ कुल रकबा	प्रस्तावित रकबा	वर्तमान किस्म	प्रस्तावित किस्म
1.	अमरापुरी	सलंगन जमाबंदी में दर्ज खातेदारान	2659/22 रकबा 0.1650 हेक्टेयर	0.1650 हेक्टेयर	बारानी दोयम	गै.मु. रास्ता
			2664/28 रकबा 0.0350 हेक्टेयर	0.0350 हेक्टेयर	बारानी दोयम	गै.मु. रास्ता

सलंगन:- प्रस्तावित नक्शा ट्रेस की प्रति


क्रमांक/सम/25/

प्रतिलिपी:-

1. तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ।


(प्रसाद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

दिनांक:-


उपखण्ड अधिकारी
सांचौर